

नारी की उड़ान:

बंदिशों से आज़ादी तक



नारी की उड़ान:

बंदिशों से आज़ादी तक



प्रस्तावना

मुझे यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा बनाई गई चित्र पुस्तिका "नारी की उड़ान: बंदिशों से आज़ादी तक" का प्रकाशन हो चुका है। यह पुस्तिका प्रत्येक महिला के संघर्षों, और उन संघर्षों को दृढ़ इच्छाशक्ति से पार कर जाने की उनकी यात्रा को शक्तिशाली रूप से दर्शाती है। इस पत्रिका का हर चित्र पाठकों को जागरूक बनाता है। लैंगिक न्याय भारत के संविधान का अभिन्न हिस्सा है, और इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए यह पुस्तिका महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करके, उन्हें सशक्त बनाने का काम करती है।

इस पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य सभी आयु के लोगों को महिला सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध करना है। सभी को यह बताना ज़रूरी है कि कैसे एक लड़की के जन्म लेते ही उसे किन-किन प्रकार के सामाजिक संघर्षों से गुजरना पड़ता है। इन संघर्षों के बारे में जान कर ही लोग संवेदनशील बन सकते हैं।

इस पुस्तिका के जरिए हम सभी को यह भी बताना चाहते हैं कि महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार की हिंसा एक कानूनी अपराध है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लाए गए कानून भारतीय संविधान की समता और समानता की भावना को आगे बढ़ाते हैं। हमारा देश और हमारा समाज महिला सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध है, और हम सभी को इस बात को समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाना है।

इस पुस्तिका की तैयार करने पर, मैं नालसा की टीम की सराहना करता हूँ। मेरी आशा है कि यह पुस्तिका समाज में ज़रूरी परिवर्तन के लिए एक ज़रूरी माध्यम बनेगी, जिससे महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जा सके।

मूयय 21.01.13

(बी.आर. गवई)

मैं किसी समाज की उन्नति को इस आधार पर मापता हूँ कि उस समाज में स्त्रियों की प्रगति कितनी हुई है।

- डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर

महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता कोई सपना नहीं, बल्कि एक अनिवार्यता है जिसे हमें वास्तविकता में बदलना होगा।

- महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन (CEDAW)

नमस्कार, मैं तारा! सुनो मेरी जुबानी,
मयूरपुर की कहानी।
दादी-पापा बोले एक ही बात,
बेटियाँ बस घर की मेहमान।
चाचा रखे कड़े विधान,
लड़कियों के सपने करें बलिदान।



पर मैं आई हूँ
बंदिशें मिटाने,
कानून की
जागरूकता बढ़ाने,
नारी को सशक्त बनाने,
सच और बदलाव
की लौ जलाने।



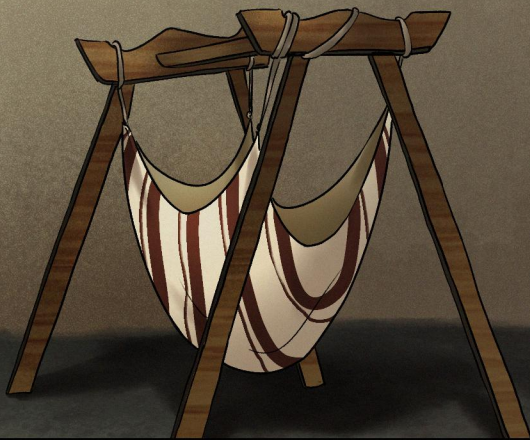
पिता की परछाई में सिमटी
हैं मेरी माँ सुमन,



हर चोट को घँघट
में ढकती हैं।
हँसी के पीछे छुपे
दुर्द के अफसाने,
आँखों में कैद हैं टूटे
हुए सपने पुराने।



बेटियाँ तो बस मेहमान हैं इस आँगन की,
पराया धन कह कदर न की जीवन की।



पहले दबाव में मेरी माँ
की कोख उजड़ गई,
मुझसे पहले कितनी बहनों
की हत्या की गयी।



कलम थामूँ तो
वो रोक देते हैं,
सपने मेरे वो
तोड़ देते हैं।



डरती हूँ कि किताबें छूट जाएँगी,
बाल विवाह की बेड़ियाँ टूट न पाएँगी।



प्रीति को मिला हौंसला अपार, उसे मिला माँ-बाप का साथ।
हर मुश्किल में वो बनी रही खास, उठाई उसने छेड़खानी के खिलाफ आवाज़।



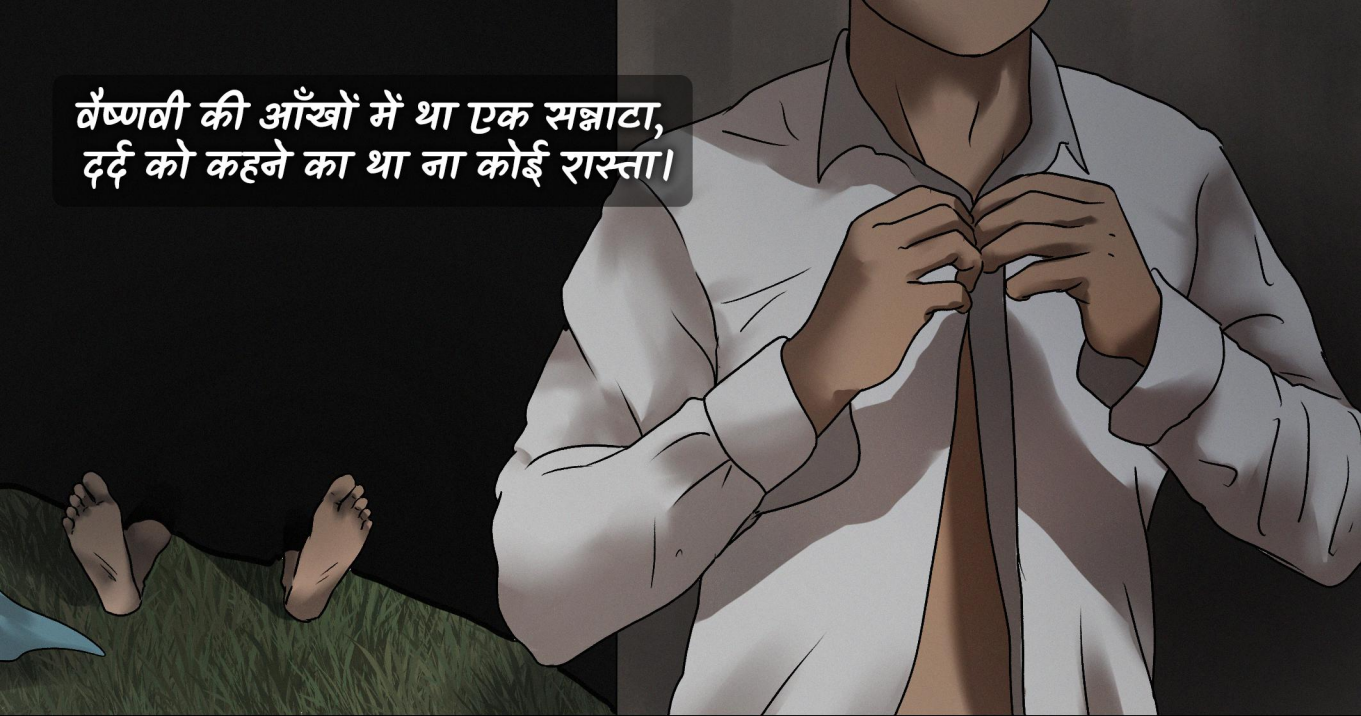


ये प्रकृति का नियम, शरीर की पहचान,
मिली जो शिक्षा, मिटा अज्ञान,
अब मासिक धर्म नहीं अपमान



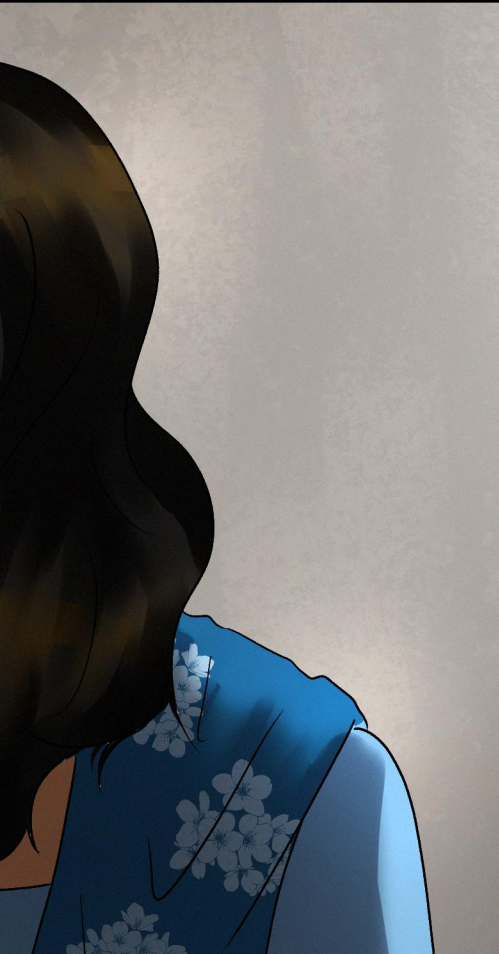
अब डर को भगाएंगे,
न्याय का दीप जलाएंगे।

वैष्णवी की आँखों में था एक सन्नाटा,
दर्द को कहने का था ना कोई रास्ता।



कितनी ऐसी कहानियाँ गुम हो गईं,
ना जाने कितनी नारियाँ समाज के डर से चुप हो गईं।



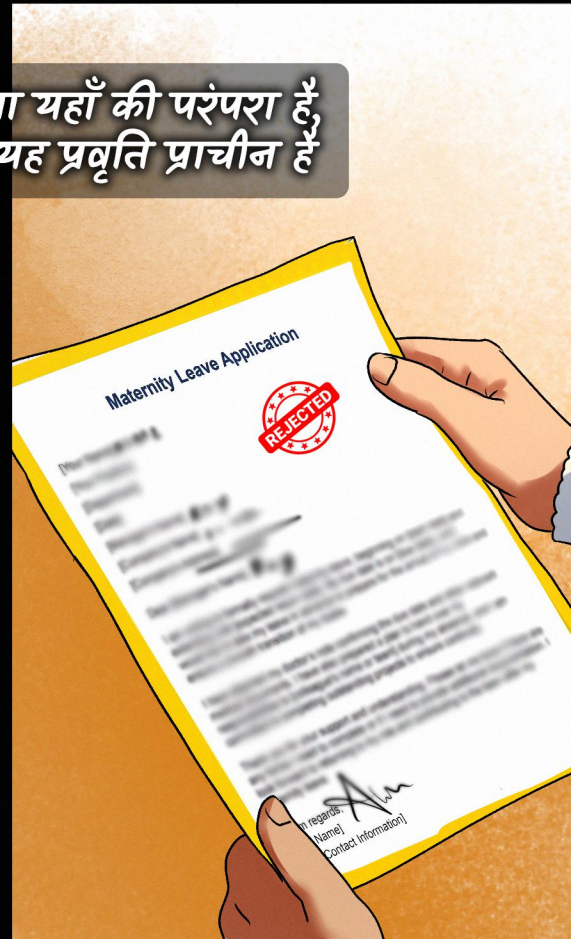


सुप्रिया दीदी बनी एक कहानी,
जिसमें दर्द था, पर हिम्मत थी सारी।

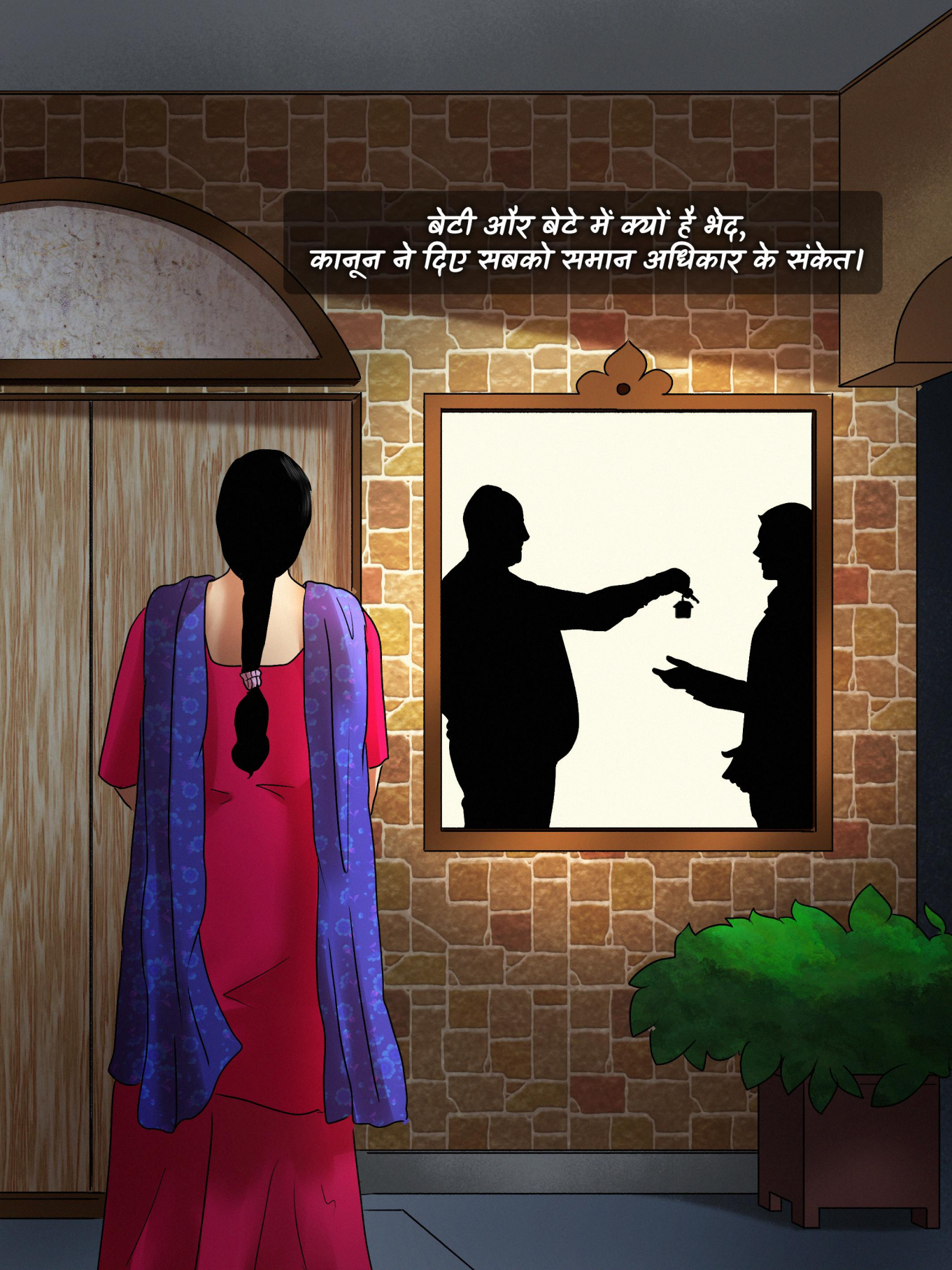
प्रगति की राह में बॉस की अनदेखी दीवार है
हर सफलता पर सवाल, हर विरोध पर तकरार है ।



नारी को कम समझना यहाँ की परंपरा है,
वर्चस्व से दबाने की यह प्रवृति प्राचीन है



बेटी और बेटे में क्यों है भेद,
कानून ने दिए सबको समान अधिकार के संकेत।



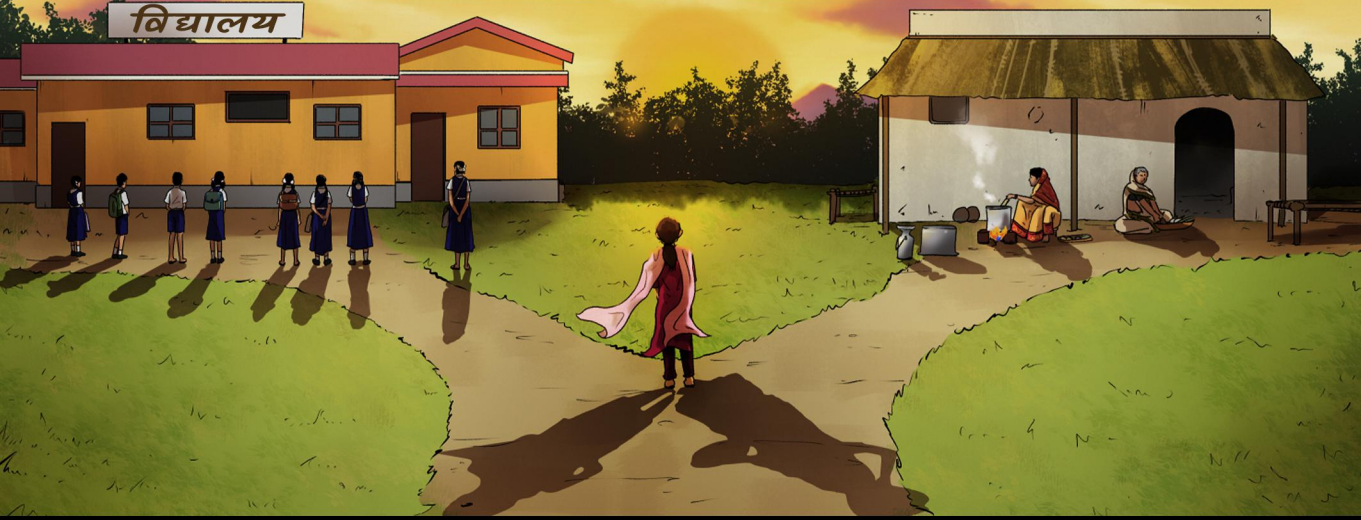
पकोड़ा कॉर्नर

देवदर्शिनी काकी की बुढ़ापे की राह थी सुनसान, पर कानून की राह ने उनकी लौटाई मुस्कान

बुजुर्ग महिलाओं का अधिकार: पेंशन, स्वास्थ्य, और आत्मनिर्भरता



यह मेरी जिन्दगी का एक नया पैगाम है,
दर्द से डरूँ या बनें मैं वीरगंगा समान?
माँ की तरह सहूँ, या धैर्यवान होकर
आत्मनिर्भरता का उदाहरण बन जाऊँ?



संविधान से मिली पहचान, आत्मगौरव और आत्मसम्मान,
मैंने चुनी शिक्षा, मेरा भविष्य होगा प्रकाशमान।



महिलाओं की सुरक्षा हेतु कानूनी प्रावधान एवं संरक्षण उपाय

कन्या भ्रूण हत्या पर कानून

गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994

गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015

घरेलू हिंसा पर कानून

दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005

बालिका शिक्षा और बाल विवाह पर कानून

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 (संशोधित 2016)

बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

विशेष विवाह अधिनियम, 1954

संरक्षण गृह अधिनियम, 1960

छेड़खानी और शोषण पर कानून

महिलाओं एवं बालिकाओं के अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000

स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012

महिलाओं की सुरक्षा हेतु कानूनी प्रावधान एवं संरक्षण उपाय

कार्यस्थल पर लिंग-आधारित चुनौतियाँ

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013
प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961

संपत्ति अधिकारों में समानता पर कानून

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925
विशेष विवाह अधिनियम, 1954

महिलाओं की सुरक्षा हेतु अन्य कानून

भारतीय संविधान
भारतीय न्याय संहिता, 2023
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
व्यक्तिगत कानूनों के उचित प्रावधान
माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007
राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण हेतु बनाए गए कानून

भारत सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण के लिए संचालित सामाजिक कल्याण योजनाएँ

- रोजगार एवं श्रम योजना - रोजगार आश्वासन योजना
- काम के बदले अनाज कार्यक्रम
- जवाहर रोजगार योजना
- श्रम कल्याण कोष
- मातृत्व लाभ योजना
- मिलियन वेल्स योजना
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005
- प्रधानमंत्री रोजगार योजना
- ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम
- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
- कामकाजी महिला हॉस्टल योजना
- बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास की योजना
- महिला प्रशिक्षण एवं रोजगार सहायता कार्यक्रम
- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
- ग्रामीण युवाओं के स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण
- लक्ष्मी दीदी योजना – स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की योजना।
- ड्रोन दीदी योजना
- महिला ई-हाट
- कार्यशील महिला हॉस्टल योजना
- मिशन इन्द्रधनुष
- नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन योजना
- महिला उद्यमिता योजना

महिला एवं बालिका सहायता के लिए महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर

1. महिला हेल्पलाइन – 181

महिलाओं के खिलाफ हिंसा, घरेलू हिंसा, शोषण और आपातकालीन सहायता के लिए।

2. बाल हेल्पलाइन- 1098

बच्चों के खिलाफ शोषण, बाल विवाह, बाल श्रम, और अन्य आपात स्थितियों में मदद के लिए।

3. पुलिस आपातकालीन सहायता – 112

किसी भी आपातकालीन स्थिति में त्वरित पुलिस सहायता के लिए।

4. राष्ट्रीय महिला आयोग हेल्पलाइन – 7827 170 170

महिलाओं से जुड़े कानूनी, सामाजिक, और अन्य अधिकारों पर सहायता के लिए।

5. महिला और बाल विकास मंत्रालय हेल्पलाइन – 011-23381611

महिला और बाल अधिकारों की रक्षा और सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए।

6. मानव तस्करी रोकथाम हेल्पलाइन – 011-233733

महिला और बाल तस्करी से जुड़ी शिकायतों और बचाव कार्यों के लिए।

7. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न शिकायत हेल्पलाइन – 011- 23378044

कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायतों के समाधान के लिए।

8. साइबर क्राइम हेल्पलाइन – 1930

महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ साइबर अपराध (छेड़छाड़, स्टॉकिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी) की शिकायत के लिए।

टिप्पण्याँ



राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा)

बी ब्लॉक, भूतल, प्रशासनिक भवन परिसर
सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली-110001

भूतल, जैसलमेर हाऊस, 26, मान सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
हमें संपर्क करें - <https://nalsa.gov.in>



15100

Toll-Free Helpline number



nalsa.gov.in



nalsa-dla@nic.in

Follow us on



nalsa.india.1



nalsalegalaid



NALSAlegalAid



@NALSA



[National Legal Services Authority](https://NationalLegalServicesAuthority)